बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
खाद्य भवन,दरोगा प्रसाद राय, पथ, आर0 ब्लॉक रोड नं0–2,पटना–1

पत्र संख्या–0215:21:1:2017–2965 पटना/दिनांकः– 26/3/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार,भा0प्र0से0,
प्रबन्ध निदेशक,

सेवा में,

सभी जिला प्रबधंक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषय– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **भारतीय खाद्य निगम, पटना का पत्रांक S&S/अवधि विस्तार 2017–18 दिनांक–09.03.2018,संयुक्त सचिव, भारत सरकार का पत्रांक–D.O.No.8-2/2018 BP-III दिनांक–15.03.18, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्रांक–4795 दिनांक–21.09.17, पत्रांक–5261 दिनांक–12.10.2017 एवं निगम मुख्यालय के पत्रांक–10534 दिनांक–12.10.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि महाप्रबंधक (क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव राज्य के अधिकांशतः विस्तारित अवधि के दौरान किये जाने पर भारतीय खाद्य निगम से आंचलिक कार्यालय एवं मुख्यालय द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है। संयुक्त सचिव, खाद्य, भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में इंगित करते हुए सुझाव दिया गया है कि आवंटित खाद्यान्न का उठाव सामान्य अवधि में पूर्ण कर लिया जाय। इस सम्बन्ध में प्रथम चरण में महाप्रबंधक (क्षेत्र) के शक्तियों का प्रत्यायोजन के तहत स्वीकृत प्रथम अवधि विस्तार के भीतर शत–प्रतिशत उठाव पूर्ण करते हुए भविष्य में तीव्रता के साथ नियमित रुप से पूरे आवंटित खाद्यान्न का उठाव सामान्य वैधता अवधि में ही सम्पन्न करायी जाय।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित लाभुकों को फूड कैलेण्डर के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए आवश्यक है कि जिला के आवंटन के अनुरुप आवश्यकतानुसार पर्याप्त परिवहन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी एकरारनामित वाहनों (GPS/Load Cell युक्त) का प्रतिदिन शत–प्रतिशत खाद्यान्न के उठाव में उपयोग किया जाय। राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर प्रेषित किये गये खाद्यान्न से लदे वाहनों से खाद्यान्न को ससमय अनलोड कराया जाय। भारतीय खाद्य निगम के सम्बद्ध डीपो में जिले के आवंटन के अनुरुप खाद्यान्न की उपलब्धता पर दैनिक अनुश्रवण के कम में

27/3/2018

जिला के कुल आवंटन के अनुरूप दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर एक कार्य योजना के तहत् प्रत्येक कार्य दिवस पर नियमित रूप से खाद्यान्न का उठाव कराना सुनिश्चित करने पर ही निर्धारित सामान्य अवधि में खाद्यान्न का शत–प्रतिशत उठाव सम्भव हो सकेगा। उक्त संदर्भ में प्रशासी विभाग के पत्रांक–4795 दिनांक–21.09.2017 एवं पत्रांक–5271 दिनांक–12.10.2017 के द्वारा जिलों में ससमय एवं शत–प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव नहीं होने, जिला स्तर पर नियुक्त परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा परिवहन कार्य में शिथिलता बरते जाने पर विलंबित उठाव एवं Despatch पर दण्ड अधिरोपित करते हुए उनके द्वारा समर्पित परिवहन विपत्र से राशि की कटौती एवं संबंधित परिवहन अभिकर्त्ता का एकरारनामा रदद् करने का निर्देश प्राप्त है।

अतः निदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जिले को प्राप्त आवंटित खाद्यान्नों का निर्धारित सामान्य समयसीमा के अन्तर्गत उठाव एवं Despatch के उपरांत प्रथम अवधि विस्तार के क्रम में विलम्बित मात्रा पर विपत्र की राशि का न्यूनतम 2% की कटौती का दण्ड एवं द्वितीय अवधि विस्तार में विलम्बत मात्रा पर विपत्र की राशि का न्यूनतम 5% की कटौती दिसम्बर–2017 के विपत्र से की जाय। उक्त प्रावधान परिवहन–सह–हथालन अभिकर्ता (मुख्य) एवं परिवहन, हथालन सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) दोनों पर समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही साथ विभागीय पत्रांक–1452 दिनांक–19.03.18 के आलोक में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का नियमित अनुश्रवण के साथ दैनिक भंडार प्रतिवेदन की समीक्षा की जाय, ताकि ससमय खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को वितरित की जा सके।

उपरोक्त निदेश को सभी परिवहन अभिकर्त्ताओं को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/- 22/3/2018

प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः– 2965 पटना, दिनांक– 26/3/2018

प्रतिलिपिः–मुख्य महाप्रबंधक(जन वितरण)/मुख्य महाप्रबधंक (अधिप्राप्ति)/ सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबधंक/सभी प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/3/2018

प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः– 2965 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सरकार के विशेष सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/3/2018

प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः– 2965 पटना, दिनांक–26/3/2018

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/3/2018

प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः– 2965 पटना, दिनांक– 26/3/2018

प्रतिलिपिः–कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, 10A मिडिलटन रॉल कोलकत्ता को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि रैक आगमन पर खाद्यान्न की आपूर्त्ति सुनिश्चित करने हेतु महाप्रबंधक (क्षेत्र), पटना को निदेशित करने की कृपा की जाय।

ह0/- 22/3/2018

प्रबन्ध निदेशक।